

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
फर्द अहकाम


बउनवानी:—श्रीमति बिलासी पत्नि श्री हरिचन्द उर्फ हरिशचन्द्र मीना निवासी जीनापुर वगै.
बनाम

तहसीलदार भू.अ. सवाईमाधोपुर व अन्य

अपील नामा0 संख्या 27/2018

GCMS No-2017/00233

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	सं. नं. मसुदा अ. हुकम कमर व अ. नं.
28.6.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी। स्वयं अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट को बार बार आवाज लगाने के उपरान्त भी न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। चूंकि इसी अपील से संबंधित नामा0 संख्या 234 दिनांक 14.12.1978 को लेकर अपीलान्टगण श्रीमति बिलासी व अन्य एक अन्य अपील संख्या 7/2020 भी न्यायालय हाजा मे अन्य वकील के मार्फत पेश कर रखी है जो वर्तमान में वास्ते रिकार्ड तलवी हेतु जैरकार है। चूंकि मूल नामा0 इस पत्रावली के साथ हमफीता है इसलिए उक्त मूल नामा0 संख्या 234 को इस पत्रावली से निकाल कर अपील संख्या 7/2020 मे हमफीता किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया है।</p>	


(डॉ०खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

